

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -903/2021
अनवान : -

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. तारामनी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. रेशनी पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. मैना पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. अमन पुत्र रामनिवास पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भामासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 11/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 332/298 के ख0न0 319, 521 की कुल 7.8556 हैक्ट 3194/19639 हिस्सा भूमि प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है प्रहलाद पुत्र हरदयाल का देहान्त हो चुका है एवं प्रहलाद पुत्र हरदयाल की एक पुत्री चुकेश का भी देहान्त हो चुका है। प्रहलाद पुत्र हरदयाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


Rahul
उपखण्डाधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण प्रहलाद पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है प्रहलाद पुत्र हरदयाल का देहान्त हो चुका है एवं प्रहलाद पुत्र हरदयाल की एक पुत्री चुकेश का भी देहान्त हो चुका है। प्रहलाद पुत्र हरदयाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता सं० 332/298 के ख० न० 319, 521 की कुल 7.8556 हैक्ट 3194/19639 हिस्सा भूमि प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है प्रहलाद पुत्र हरदयाल का देहान्त हो चुका है एवं प्रहलाद पुत्र हरदयाल की एक पुत्री चुकेश का भी देहान्त हो चुका है। प्रहलाद पुत्र हरदयाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया

Lahul
अधिकारी
अक्षर

है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रहलाद के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 332/298 के ख0न0 319, 521 की कुल 7. 8556 हैक्ट 3194/19639 हिस्सा भूमि प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रहलाद पुत्र हरदयाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक11/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -903/2021
अनवान : -

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. तारामनी पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. मैना पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. अमन पुत्र रामनिवास पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भामासी तहसील राजगढ़ जिला चुरु।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 903 सन 2021 निर्णय दिनांक 11/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 332/298 के ख0न0 319, 521 की कुल 7.8556 हैक्ट 3194/19639 हिस्सा भूमि प्रहलाद पुत्र हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रहलाद पुत्र हरदयाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर